नालसी वाद संख्या – 19 सी /2017
फुलेना सिंह बनाम रंजीत सिंह

18.08.2020 : अभियुक्त हनुमान सिंह की हाजरी एवं आत्मसर्पण सह जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। जिसकी प्रति परिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने यह कहकर कि ''No instruction'' लेने से इंकार किया। परिवादी की प्रति अभिलेख पर संलग्न है। अभिुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया है।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुए निवेदन करते हैं कि अभियुक्त निर्दोष है तथा इनके ओर से किसी अन्य वरीय न्यायालय में जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। अभियुक्त पर आरोप पत्र में लगाये गये सभी धाराएं जमानतीय हैं। उभय पक्ष आपस में गोतीया है और आपस में भूमि विवाद है। अभियुक्त सम्मन अधिपत्र पर न्यायालय में उपस्थित हुआ है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाय।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को जमानत के बिन्दु पर सुना।

न्यायालय द्वारा अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में वांछित है तथा इनके विरूद्ध धारा – 147, 341, 323 भा0 दं0 वि0 के अंतर्गत संज्ञान लिया गया है। जो जमानतीय है एवं अभियुक्त स्वतः न्यायालय में आत्मसमर्पण किया है तथा संज्ञान के बाद प्रथम उपस्थिति है। इसलिए अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः न्यायालय द्वारा मो0 5000/1 के समतुल्य राशि के प्रतिभू सहित बंध पत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

न्यायिक दंडाधिकारी –I

पश्चात

18.08.2020 : अभियुक्त हनुमान सिंह की ओर से उपरोक्त आदेश के आलोक में बंध पत्र सभी उचित कागजातों के साथ दाखिल किया गया है। जिसे जांचोपरांत सही पाकर स्वीकृत किया जाता है अतः अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा से मुक्त किया जाता है।

लेखापित

न्या0 दंडा0 – I